कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

नया प्रशासनिक कार्यालय, गांधी चौक, बैरन बाजार,रायपुर (छ.ग.)

फोन.न.:– 2535780, 90, फैक्स :– 0771.2227395 E-mail:-dc_rmc@rediffmail.com

Website - www.nagarnigamraipur.com

क्र. 184/अपर आयुक्त/न.पा.नि./2020 रायपुर, दिनांक 01/06/2020

प्रति,

1/सर्व जोन कमिश्नर,
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
2/सर्व थाना प्रभारी,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **ठेला/गुमटी खोले जाने के संबंध में निर्देश।**

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि केबिनेट में लिये गये निर्णय अनुसार ठेला/गुमटी का संचालन प्रारंभ किया जाना है, इस संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

1. ठेले/गुमटी सुबह 07:00 बजे से शाम 06:30 बजे तक खोले जायेंगे।
2. सोमवार से शनिवार तक खोले जायेंगे।
3. 2 ठेलो के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी रहेगी।
4. यदि किसी बाजार या सड़क में स्थान कम हो और ठेले अधिक हो तो वहाँ जोन कमिश्नर तथा TI सामंजस्य से ऑड–ईवन कर 20 फीट की दूरी का पालन करायेंगे।
5. सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
6. साबुन/सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
7. टेक अवे अनिवार्य होगा ठेले में खड़े होकर खाने की सुविधा नही दी जायेगी।
8. ठेले के पास गोल मार्किंग की जायेगी, दूरी बनाकर खडा होना होगा।
9. ठेलो के पास मुंह धोना/थूकना/गंदगी फैलाना प्रतिबंधित होगा।
10. सार्वजनिक स्थल में शराब/पान/गुटका/तंबाकू का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।
11. निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त समस्त निर्देश का पालन कराते हुए संबंधित जोन कमिश्नर/थाना प्रभारी ठेला/गुमटी का संचालन शुरू करायेंगे।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर

पृ.क्र. 185/अपर आयुक्त/न.पा.नि./2020 रायपुर, दिनांक 01/06/2020

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर